

// नोटिस //

स्वशासी समृद्धि विकास महाविद्यालय, इन्दौर में जूनियर रेसीडेंट (JR) के निम्नानुसार नियमित रिक्त पदों पर सीमित पदावधि (Tenure) से पदों की पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में वैकं-इन-इंटरव्यू हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

जूनियर रेसीडेंट (निश्चित वेतन ₹.45,000/- प्रतिमाह)

DEPARTMENT	TOTAL POST	UR	ST	SC	OBC
PSYCHIATRY	02	0	1	0	1
TOTAL	02	0	01	0	01

दिनांक 20.08.19 को स्कूली समय 11:30 बजे से तथा दिनांक 30.08.19 को साक्षात्कार का समय 11:30 बजे रहेगा।

नोट:- साक्षात्कार हेतु आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण पत्रों की गूल प्रति तथा अभिप्राप्तियों के साथ उपरिषित होना अनिवार्य होगा। इस हेतु पृथक रो कोई सूचना नहीं दी जावेगी।

मध्यप्रदेश शासन के नवीनतम के आदेश कार्यालय के प्रावधान अनुसार रासी रातकोत्तर छात्र जिनका चयन जूनियर रेसीडेंट के पद पर होगा उन्हें यारी सेवा के बांड रो इस शर्त के साथ मुक्त किया जाएगा कि वे बांड अवधि के बराबर अवधि तक महाविद्यालय में इस पद पर सेवाएँ देंगे। उक्त अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की रिक्ति रो यारी/अधिसूचित धोत्रों में सेवा हेतु किये गये बाण्ड की शर्तें लागू हो जाएगी और उन्हें निर्धारित अवधि तक यारी सेवा फूरनी होगी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.गौ.समृद्धि विकास महाविद्यालय एवं संबद्ध विकासालय
स्वशासी संरथा, इन्दौर

वैकं-इन-इंटरव्यू हेतु नियम एवं शर्तें।

- आरक्षण शासन द्वारा प्राप्त निर्देशानुसार।
 - पदों की रिक्तियों की संख्या में कभी या वृद्धि हो सकती है। रिक्तियों की कैटेगिरी में परिवर्तन किया जा सकता है।
 - उक्त रिक्त पदों में महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत पद प्रत्येक श्रेणी में आरक्षित है तथा 3 प्रतिशत पद विकलांग हेतु आरक्षित है।
 - जूनियर रेसीडेंट हेतु अगर आरक्षित वर्ग के विकासाक नहीं मिलते हैं तो उस रिक्ति में रीटें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित श्रेणी के क्रम से उपलब्ध कर विकासाको से भरी जावेगी।
 - आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से अन्यर्थी साक्षात्कार का पात्र नहीं हो जाता।
 - अवधि : जूनियर रेसीडेंट्स की सेवा—अवधि (Tenure) तीन वर्ष की होगी। इनकी प्रथम: 01 वर्ष हेतु नियुक्ति की जावेगी। तत्पश्चात् सेवायें संतोषजनक पाये जाने पर 01-01 वर्ष हेतु समय बढ़ाते हुए अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाई जाएगी।
 - नियुक्ति का तरीका : योग्य अन्यर्थीयों का चयन एम.बी.बी.एस. रासी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी परीक्षाओं के अंकों, अनुभव, अतिरिक्त योग्यता एवं साक्षात्कार उपरांत किया जावेगा। नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा की जावेगी।
 - आवेदन शुल्क : जूनियर रेसीडेंट के पद हेतु अन्यर्थीयों को अपने आवेदन के साथ ₹. 800/- (छ: रु.) एवं आरक्षित वर्ग के अन्यर्थीयों को ₹. 300/- (तीन रु.)। राशि का बैंक ड्राफ्ट अधिष्ठाता म.गौ.समृद्धि विकास महाविद्यालय, इन्दौर के नाम देय होना चाहिये। बैंक ड्राफ्ट के पीछे अन्यर्थी को पूरा नाम, विषय का नाम, पता एवं फोन नं. लिखना आवश्यक है। किसी भी अवरथा गे राशि लौटायी नहीं जावेगी।
 - शैक्षणिक योग्यता:-
- जिन विकासाकों ने नोटिस निकलने के दिनों से पिछले तीन वर्षों के अन्दर एम.बी.बी.एस.परीक्षा उत्तीर्ण की है। वे ही इस पद के लिये पात्र होंगे। जूनियर रेसीडेंट पद पर नियुक्त किसी विकासाको निजी प्रेविटस की पात्रता नहीं होगी। जिन विकासाकों ने इसी विकास महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. परीक्षा उत्तीर्ण विकासाको को प्राप्तिकर्ता दी जाएगी। उसके बाद मध्यप्रदेश के किसी भी विकास महाविद्यालय से उत्तीर्ण विकासाको को प्राप्तिकर्ता दी जाएगी। संरथा द्वारा कदाचार के कारण पूर्व में सेवा समाप्त उम्मीदवार को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी।
- यात्रा भत्ता :- साक्षात्कार के लिये किसी भी अन्यर्थी की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।
 - आयु रीमांग:- साक्षात्कार के लिये किसी भी अन्यर्थी की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

अन्य शर्तें :

- इन विकासाको का प्रत्येक 01 वर्ष में 12 दिवस के आकर्षित अवकाश की पात्रता होगी तथा सालाह में एक दिन अवकाश की पात्रता होगी यह अवकाश संचित नहीं किया जा सकता, पर इन रेसीडेंट्स से संबंधित, रासी बातों पर अधिष्ठाता का निर्णय अतिम होगा।
- आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्पश्चात् का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में साक्षम अधिकारी म.प्र. द्वारा प्रदत्त की सत्यापित घायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
- म.प्र. के मूल निवासी को ही आरक्षण का साम दिया जावेगा।
- उम्मीदवार को शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित घायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी।

5. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाये अनुसार बंधनकारी होगी।
 6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के साथ ही जिस संस्था में कार्यरत है उस संस्था का अनापत्ति/त्यागपत्र स्वीकृति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 7. 8. उम्मीदवार को म.प्र. राज्य मेडिकल कौसिल अथवा मेडिकल कौसिल ऑफ इंडिया से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। जूनिशर रेसीडेन्ट के पद पर चयनित उम्मीदवार को आवश्यकतानुसार अन्य स्थान/सी.एम.ओ. ड्यूटी पर कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकता है।
 9. यदि किसी अध्यर्थी के दस्तावेज असत्य पाए जाते हैं अथवा यदि कोई चयनित उम्मीदवार बिना सूचना के अनुपस्थित पाया जाता है तो उसे सेवा से पृथक करने का अधिकार अधिष्ठाता के पास रहेगा।

साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।

१२५४७-७०

क्रमांक / छात्र/स्था/2019

प्रतिलिपि:

- आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल की ओर म.प्र. शासन के आदेश क्र. एफ-४-७/२०१०/१/५५ दि २५.०८.१० एवं एफ-१-०३/२०१७/५५-२ भोपाल दिनांक ०४.०४.२०१७ एवं १२७४-७९/स्था/राज/२०१९ भोपाल दिनांक ३१.०५.२०१९ के परिपालन में।
- अधिष्ठाता, मेडिकल कॉलेज, भोपाल/जबलपुर/ग्वालियर एवं रीवा की ओर भेजकर निवेदन है कि अपने कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर उक्त नोटिस चस्पा करने का कष्ट करे।
- समस्त विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ तथा अपने विभागीय नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा करने हेतु।
- समस्त नोटिस बोर्ड चिकित्सा महाविद्यालय/म.य.चिकित्सालय/छात्रावास/लायब्रेरी।

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय
 स्वशासी संस्था, इन्दौर

इन्दौर, दि. २६/४/१९

कृति

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
 म.गॉ.स्मृ.चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय
 स्वशासी संस्था, इन्दौर